न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204 / 2018

जगदीश उम्र 58 साल पुत्र रामा जाति खटीक निवासी ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव उम्र बालिग पुत्र जड़ावचन्द जाति कुमावत
2. रामधन उम्र बालिग पुत्र जड़ावचंद जाति कुमावत
3. किशनलाल उम्र बालिग पुत्र जड़ावचंद जाति कुमावत
4. छीतर उम्र बालिग पुत्र जगदीश जाति कुमावत
5. रतनलाल उम्र बालिग पुत्र जगदीश जाति कुमावत
6. गणेश उम्र बालिग पुत्र स्वरूपा जाति कुमावत
7. रामसुख उम्र बालिग पुत्र जग्गा जाति कुमावत
8. रामकिशन उम्र बालिग पुत्र अर्जुन जाति कुमावत
9. दुर्गा उम्र बालिग पुत्र अर्जुन जाति कुमावत
10. श्रवण उम्र बालिग पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत
11. रामधन उम्र बालिग पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत
12. जवारा उम्र बालिग पुत्र भूरा जाति कुमावत
    समस्त निवासीगण ग्राम आलोली तहसील सावर जिला अजमेर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 128 राज0भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित::— श्री मगन लाल लोधा वकील— प्रार्थीगण
तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03.03.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहरूकलां तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2070—73 की निम्नवर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है::—

खाता संख्या नया— पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
344 323	2200	0.20 है0	बारानी 1
	2201	0.34 है0	बारानी 1
	2203	0.52 है0	बारानी 1
	2204	0.07 है0	बारानी 1
	कुल किता 4	1.13 है0	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। इस आराजी के पड़ोसी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 है। उक्त वर्णित आराजीयात व अप्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात को काश्त करने को लेकर आये दिन लड़ाई—झगड़ा होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त आराजी का सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है जिससे भविष्य मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सके। प्रार्थी ने करीब 6 माह पहले अप्रार्थी संख्या 13 को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सूनवाई नही हुई अतः यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थायी सीमा चिन्ह(पत्थरगढ़ी) स्थापित करवाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

पेश करना आवश्यक हुआ। करीब 10 दिन पहले प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात काश्त करने गया तो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य स्थायी सीमाचिन्ह न होने से अप्रार्थीगण ने काश्त करने मे बाधा पहुॅचाई तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो गये इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजीयात का नाप चौप कर स्थायी सीमाचिन्ह(पत्थरगढ़ी)स्थापित किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,2,4,5,6की और से श्री सीताराम कुमावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब दिनांक 30.01.2019 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 3,7से 12 बावजूद नोटिस तामिली उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ दिनांक 12.09.2016 को एक्सपार्टी की गई। प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 12.02.2020 को जवाब बंद किया गया। दिनांक 25.02.2020को पैरोकार सरकार ने न्यायालय की आदेशिका पर यह अंकित किया कि राजहित प्रभावित नहीं होता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि ग्राम मेहरूकलां की जमाबंदी संवत् 2072–75 वादवर्णित आराजी खाता संख्या 344–323 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.13 है0 प्रार्थी जगदीश पुत्र रामा कोम खटीक के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी इस खातेदारी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के लायक वकील श्री मगन लाल लोधा के तर्को से सहमत है कि खातेदार को अपनी आराजी की सीमाचिन्ह(पत्थरगढ़ी)स्थापित करवाने का हक अधिकार है। अतः तहसीलदार सावर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर दक्ष कार्मिकों की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2020.06.02 18:46:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: